



प्रेस विज्ञप्ति

ई. एस. आई. के बीमित व्यक्तियों के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25/04/2024 से 12/05/2024 तक.

पटना, दिनांक : 26/04/2024

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अनेक लाभों में एक अनूठा लाभ बीमित व्यक्तियों के बच्चों के लिए मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में नामांकन के लिए आरक्षण भी है। बीमित व्यक्तियों के बच्चों को नीट (NEET) की परीक्षा के आधार पर ई. एस. आई. के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन हेतु एम. बी. बी. एस. और बी. डी. एस. कोर्स के लिए प्रवेश सूचना जारी किया गया है, जिसकी जानकारी ई०एस०आई०सी० के वेबसाइट <https://www.esic.gov.in> पर उपलब्ध है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, विहार के क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), संजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत नामांकन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर से “वार्ड ऑफ आई. पी. प्रमाण-पत्र” जारी किया जाता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

क्षेत्रीय निदेशक ने यह भी बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक दिनांक 25/04/2024 से शुरू है तथा 12/05/2024 को बंद हो जाएगा। उन्होंने बीमित व्यक्तियों को समय पर “वार्ड ऑफ आई. पी. प्रमाण-पत्र” के लिए आवेदन करने की अपील की, जिससे कि समय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया पूरी हो सके।

क्षेत्रीय निदेशक